



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 6, सोमवार, शाके 1939-नवम्बर 27, 2017
Agrahayana 6, Monday, Saka 1939-November 27, 2017

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञापितियां।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 24, 2017

संख्या प. 2(5)अल्प.वक्फ/2017/1/76868 :-वक्फ अधिनियम, 1995 (केन्द्रीय अधिनियम, 1995 संख्या 43) की धारा 14 (1) (b) (i) के अन्तर्गत राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर के सदस्य के रिक्त पद पर हुए उप चुनाव में मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी (कलक्टर, जयपुर) द्वारा श्री अशक अली टाक, पूर्व सांसद को निर्वाचित घोषित कर राजस्थान वक्फ बोर्ड (इलेक्शन ऑफ मेम्बर्स) नियम, 1999 के नियम 77(1) के अन्तर्गत दिनांक 22-11-2017 को निर्वाचन प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। निर्वाचन उपरान्त वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14(9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे वर्णित व्यक्ति को राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ का सदस्य नियुक्त करती है।

यह नियुक्ति वर्तमान में गठित बोर्ड की शेष कार्यावधि तक मान्य रहेगी।

क्र.सं.	नाम सदस्य	पता	निर्वाचक मण्डल का नाम	श्रेणी
1	श्री अशक अली टाक	प्लॉट नम्बर 36 दादी बाडी, अलका सिनेमा मुरलीपुरा, सीकर रोड़, जयपुर-39	मुस्लिम सांसद	निर्विरोध निर्वाचित

माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
प्रतिभा पारीक,
संयुक्त शासन सचिव।